गुमला समाहरणालय, गुमला।
(श्रम अधीक्षक का कार्यालय, गुमला।)
अति अल्पकालिन निविदा

झारखण्ड सरकार, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में गुमला जिले के निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन, निःसहाय, वृद्ध एवं भिक्षुकों के बीच निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कुल 2,777 (दो हजार सात सौ सत्तहत्तर) निःशुल्क कम्बल का वितरण किया जाना है। इस निमित कम्बल क्रय हेतु निम्न शर्त्तों के साथ मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :–

निविदा मुहरबन्द लिफाफे में श्रम अधीक्षक का कार्यालय, गुमला में दिनांक 07-12-2018 को 2:00 बजे अपराहन् तक सीलबन्द बक्से में डाले जायेंगे।

प्राप्त निविदाएँ दिनांक 07-12-2018 को 3:00 बजे अपराहन् में समाहरणालय, गुमला परिसर स्थित उपायुक्त, गुमला के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति एवं निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी।

निविदा के साथ "तकनीकी बीड" एवं "वित्तीय बीड" का अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफा जमा करना होगा। जिसपर निविदादाताओं का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से दर्ज हो। उन निविदादाताओं का ही "वित्तीय बीड" खोला जायेगा, जो "तकनीकी बीड" में सफल होंगे।

(क) **"तकनीकी बीड"** में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना होगा :–

1. निविदा के साथ कम्बल का नमूना देना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. प्रतिभूति राशि के रूप में रु **50,000.00 (पच्चास हजार)** का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, गुमला के पदनाम से समर्पित करना अनिवार्य होगा। (झारखण्ड सरकार के प्रतिष्ठान/उपक्रम को छोड़कर) यह राशि स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर अन्य को वापसी योग्य होगा।
3. निविदा के साथ पैन संख्या, अद्यतन आयकर रिटर्न, GST प्रमाण पत्र तथा GST की अद्यतन रिटर्न की प्रति, कार्यानुभव प्रमाण पत्र यदि हो, प्राधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण पत्र, काली सूची में न होने संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. **निविदा का निष्पादन मूलतः गुणवत्ता एवं दर** दोनों के आधार पर किया जाएगा। आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की गुणवत्ता उसके वजन, आकार, मोटाई (डबल लेयर्ड) एवं ऊन की मात्रा के आधार पर निश्चित की जाएगी। कम्बल 90"X60" के आकार तथा वजन न्यूनतम 2.00 कि0ग्रा0 तथा अधिकतम निर्धारित दर रु 300/– प्रति (सभी कर सहित) की दर से होगा। सभी कम्बलों में झारखण्ड सरकार, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का लोगो (Logo) लगवाना सुनिश्चित कराएंगे।
5. एक निविदादाता/प्रतिष्ठान को एक ही कम्बल की विवरणी एवं नमूना प्रस्तुत करना होगा। एक से अधिक कम्बल का नमूना मान्य नहीं होगा। कंबल के नमूने को भी प्रतिष्ठान के नाम लिखकर सील कर के देना होगा।
6. आपूर्ति किया गया कम्बल निविदा के साथ प्रस्तुत किये गये नमूना के अनुरूप होना चाहिए।

7. निविदा में अंकित दर के अतिरिक्त हथालन या परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।
8. सरकारी प्रतिष्ठान को निविदा में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) **''वित्तीय बीड'' :–**

1. ''वित्तीय बीड'' के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से **''वित्तीय बीड''** अंकित करना अनिवार्य होगा।
2. ''वित्तीय बीड'' के लिफाफे में कम्बल का दर सभी कर हथालन/परिवहन व्यय सहित देना होगा।

स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश के **एक सप्ताह के अन्दर** कम्बल की आपूर्ति स्वीकृत नमूना के आलोक में गुमला जिला के सभी अंचलों में आदेशानुसार करना होगा एवं प्राप्ति रसीद श्रम अधीक्षक कार्यालय, गुमला में प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत नमूना से भिन्न एवं समय पर आपूर्ति नहीं किये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता के फर्म को काली सूची में डालने तथा उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि को जब्त करने/जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जायेगी।

काली सूची में दर्ज निविदादाता निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/रदद् करने अथवा एक से अधिक निविदादाताओं के बीच क्रय समिति के अनुमोदनार्थ पर वितरित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

26/11/18

उपायुक्त,
गुमला।

ज्ञापांक – 850/श्रम गुमला, दिनांक – 27-11-18

प्रतिलिपि – निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि निविदा संबंधी विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय। साथ ही आम सूचना हेतु सूचनापट्ट पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि – एन0आई0सी0, गुमला को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – वेब मैनेजर-सह-अपर समाहर्त्ता, गुमला को जिले के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

26/11/18

उपायुक्त,
गुमला।

E/LS Letters/LS Gumla 902